कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड रामगंजमण्डी, (जिला कोटा)

क्रमांक : 674 दिनांकः 18/1/2024

श्रीमान उपवन संरक्षक
कोटा

विषय :— प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सलावदखुर्द से बड़ौदिया आंतरी सड़क निर्माण हेतु 4.896 है0 वन भूमि का प्रत्यावर्तन।

प्रसंग :— आपका पत्रांक 8620 दिनांक 20.09.2023

महोदय,

उपरोक्त प्रासंगिक विषयान्तर्गत निवेदन है कि आपके सन्दर्भित पत्र द्वारा अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक को लिखते हुए इस कार्यालय को अवगत कराया गया है कि उक्त आलोच्य प्रस्ताव में भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवाऊ परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली पत्रांक 8बी/राज./06/33/2008/एफ.सी./819 दिनांक 18.09.2015 के अनुसरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति क्रमांक 162 दिनांक 11.05.2009 की पालना नही होने में 5 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत होने के कारण वन संरक्षण अधिनियम 1980 की मांगदर्शिका के पेरा 4.2(I) एवं (II) के तहत उक्त प्रस्ताव को बन्द/निरस्त कर दिया गया है।

भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र) लखनऊ के पत्रांक 8बी/राज./106/33/2008/एफ.सी./162 दिनांक 11.05.2009 के तहत उक्त आलोच्य प्रस्ताव की निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान की गई थी जिसकी विभाग द्वारा बिन्दुवार पालना रिपोर्ट निम्नानुसार प्रस्तुत है।

क्र.सं.	अधिरोपित शर्ते	मॉग राशि का आधार यथा क्षैत्रफल दर आदि एवं राशि	विशेष विवरण
1	प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वन भूमि अर्थात 4.896 है0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं रखरखाव हेतु आवश्यक धन राशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथा संशोधित)	4.896 Ha. @145925/- = Rs. 714449/-	राशि रू. 5701429/— केम्पा फण्ड में निम्नानुसार जमा करायी जा चुकी है। (1) कुल राशि रू. 4287269/— चैक संख्या 309436 दिनांक 22.03.2010 दिनांक 25.03.2010 कारपोरेशन बैंक केम्पा फण्ड में जमा। (2) कुल राशि रू. 574553/— चैक सं. 312446 दिनांक 30.01.2012 दिनांक 30.01.2012 को केम्पा फण्ड कॉरपोरेशन बैंक में जमा कराया गया। (3) कुल राशि रू. 13847223/— केम्पा फण्ड नई दिल्ली को दिनांक 31.03.2016 को जमा डी.डी. सं0 450711 दिनांक 31.03.2016 में इस परियोजना की राशि रू. 697573/— रूपये सम्मिलित है जिसको कॉरपोरेशन बैंक जयपुर में दिनांक 04.04.2016 का समाशोधन हेतु जमा कराया गया। (4) दिनांक 25.03.2017 को जमा की गई 1532598/— रूपये में इस परियोजना की अंतर राशि भी 142479/— रूपये सम्मिलित है।
2	माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 30,64,896/— 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 566 में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (N.P.V) निर्धारित राशि /626000/— रूपये प्रति है0	4.896 Ha. @626000/- = Rs. 3064896/-	
3	प्रस्तावित स्थल के आस—पास रिक्त पड़े स्थान (5 है. क्षेत्र) पर यथोचित वृक्षारोपण एवं रखरखाव हेतु आवश्यक धन (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथा संशोधित) राशि।	रू. 729625/—	
4	वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के उल्लंघन फलस्वरूप प्रभावित वन क्षेत्र के दुगने 9.792 है0 अवनत वन भूमि पर दण्डात्मक क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं रखरखाव हेतु आवश्यक धन राशि।	9.792 Ha @121779/- = Rs. 1192459/-	

	कुल योग	= Rs. 5701429/-	
5	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दरों में बढ़ोतरी होती है तो अतिरिक्त/अन्तरीय राशि अदा करने के लिए अन्डर टेंकिग		नवीन अन्डर टेंकिन पत्र प्रस्तुत करदी गई है।
6	5. भारत सरकार पत्र संख्या 5–3/2007–एफसी/दिनांक 05.09. 2007 के तहत दिये गये अनुदेशो के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या सीए 1581 कापोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लाक II भूतल सीजीओ काम्पलैक्स, फेज–I लोधी रोड नई दिल्ली 110003 में जमा कराया जावे।		समस्त राशि जमा करायी जा चुकी है।
7	भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों को कड़ी चेतावनी दी जावेगी तथा इसका वर्णन उनकी सर्विस पुस्तिका में किया जायेगा ओर उसकी एक प्रतिलिपी इस कार्यालय को उपलब्ध कराई जावेगी।		भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी अधिकारी तत्कालीन अधिशााषी अभियन्ता श्री आर.एस. झंवर 30.06. 2020 को सेवानिवृत हो चुके है। उक्त सड़क निर्माण कार्य का कार्यादेश तत्कालीन अधिशाषी अभियन्ता श्री आर. एस. झंवर द्वारा जारी किया गया। श्री झंवर का सेवानिवृति 3 वर्ष से अधिक समय हो जाने के कारण राजस्थान सेवा नियम के अनुसार सेवा पुस्तिका में चेतावनी इन्द्राज किया जाना संभव नही है। उक्त सड़क निर्माण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के लिए संवेदक मैसर्स परमानन्द कॉन्ट्रेक्टर कोटा जिम्मेदार है जिसको विभाग द्वारा विभागीय कार्यो से वंचित है।

उक्त सड़क निर्माण में वन भूमि के बदले गैर वन भूमि ग्राम सलावद कलां में आपके विभाग को पूर्व में दी जा चुकी है एवं अधिरोपित शर्तो के अनुसार राशि रू. 5701429/– उपरोक्तानुसार आपके विभाग को दी जा चुकी है।

उक्त सड़क निर्माण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के लिए उत्तरदायीं अधिकारी सेवा निवृत्त होने से एवं संवेदक को कार्यो से वंचित के कारण उक्त प्रकरण पर सहानुभूतिपूर्वक जनहितार्थ सड़क निर्माण की अनुमति दिलाने का श्रम करें।

(आर.के.मीणा)
अधिशाषी अभियन्ता
सा0नि0वि0खण्ड रामगंजमण्डी